न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)
पीठासीन अधिकारी श्रीमती हरबिन्दर डी० सिंह R.A.S

मिसल नं०	तारीख दायरा	तारीख फैसला
39/दावा/2023	31.03.2023	29.05.2024

मोहनी उम्र 53 वर्ष पत्नी बाबू लाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम तालेड़ा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी, राजस्थान।

–प्रार्थीया

बनाम

1. द्वारका बाई उम्र 72 वर्ष पत्नी किशन गोपाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम अकतासा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी, राजस्थान ।
2. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील तालेडा जिला बून्दी।

अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषक
वकील प्रार्थीया :– श्री अखिलेश जैन
वकील अप्रार्थी :– श्री हिम्मत सिंह व पेरोकार सरकार

:: निर्णय ::

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 एल. आर. एक्ट

प्रार्थिया द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 131 एलआरएक्ट में प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार की भूमि खाता संख्या नया 243 पुराना 41 खसरा संख्या 1561/194 रकबा 0.0243 हेक्टेयर किस्म नहरी द्वितीय वाके ग्राम अकतासा पटवार हल्का अकतासा तहसील तालेडा जिला बून्दी में स्थित है। जिसमे प्रार्थीया काबिज होकर काश्त कर रही है। प्रार्थीया की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1561/194 रकबा 0.0243 हैक्टेयर पर वर्तमान मे काबिज होकर काश्त कर रही है पूर्व में उक्त खसरा नम्बर के खसरा नम्बर 956/194 थे जो खसरा संख्या 1561/194 के समीप ही पूरब दिशा मे खसरा संख्या 1505/194 खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 काबिज होकर काश्त कर रही है। जिसके पूर्व के खसरा नम्बर 1225 /194 है ऑनलाईन से पूर्व प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 के राजस्व रिकार्ड में नक्शा तरमीम हो रहा था। प्रार्थीया की भूमि खसरा संख्या 1561/194 रकबा 0.0243 हैक्टेयर वर्तमान मे पूर्वी दिशा में आनलाईन नक्शा तरमीम करते समय राजस्व रिकार्ड मे पूर्वी दिशा मे तरमीम कर दिया है जो कि गलत हैं. वर्तमान मे प्रार्थीया खसरा संख्या 1561/194 के पश्चिम दिशा में काबिज होकर काश्त कर रही है। अप्रार्थीया के खसरा नम्बर 1505/194 की जगह प्रार्थीया के खसरा संख्या 1561/194 को तरमीम कर दिया है जो कि गलत है। दोनों खसरा नम्बर 194 के हिस्से है मौके पर भौतिक स्थिति के अनुसार प्रार्थीया खसरा संख्या 194 के पश्चिम दिशा मे काबिज है और पूर्वी दिशा मे अप्रार्थी संख्या 1 काबिज है। प्रार्थीया ने दिनांक 18-02-2023 को प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि की नक्शा ट्रेस की आनलाईन कम्प्युट्रीकृत प्रतिलिपि प्राप्त की जिसमे प्रार्थीया की भूमि को राजस्व नक्शे मे भौतिक स्थिति के अनुसार तरमीम नही किया गया है। प्रार्थीया की भूमि खसरा संख्या 1561/ 194 को पुर्वी दिशा मे तरमीम कर दिया गया है जो कि गलत है जबकि प्रार्थीया की भुमि खसरा संख्या 1505 / 194 की जगह पश्चिम दिशा में प्रार्थीया काबिज काश्त है इसलिए जहाँ पर वर्तमान मे प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 भौतिक स्थिति के हिसाब से काबिज है। उसको सही तरमीम किया जावे। प्रार्थीया को अधिकार प्राप्त हैं कि खसरा संख्या 1561/194 को खसरा सख्या 1505/194 के पूर्वी दिशा में की गई तरमीम को निरस्त किया जावे और प्रार्थीया के कब्जे के अनुरूप खसरा संख्या 1561/194 को पश्चिम दिशा मे तरमीम किया जावे। प्रार्थीया को उक्त तरमीम की जानकारी दिनांक 18-02-2023 को आनलाईन

नक्शे की प्रतिलिपि लेने पर हुई थी। यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का कारण है। राजस्व नक्शे में की गई अवैध तरमीम को निरस्त करवाकर नई तरमीम करवाने का आदेश प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार की भूमि खसरा संख्या 1561/194 को खसरा संख्या 1505/194 के पूर्वी दिशा मे की गई तरमीम को निरस्त किया जावे और प्रार्थीया के कब्जे के अनुरुप खसरा संख्या 1561/194 को पश्चिम दिशा में तरमीम किये जाने के आदेश प्रदान किया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उपस्थित होकर जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार कर नक्शा तरमीम शुद्ध करने का निवेदन किया।

तहसीलदार तालेड़ा से रिपोर्ट जरिये पत्रांक 1553 दिनांक 01.05.2024 से प्राप्त हुई, जिसके अनुसार मौका एंव रिकार्ड रिपोर्ट में ग्राम अकतासा पटवार हल्का अकतासा के खसरा नं0 1561/194 व 1505/194 की तरमीम नही है। नक्शे लट्टे में मूल नम्बर 956/194 की तरमीम है। आनलाईन भू नक्शा शीट में खसरा नं0 1505/194 पश्चिम दिशा की तरफ ख0नं0 1463/199 के लगवा स्थित है व खसरा न0 1561/194 पुर्व दिशा की तरफ खसरा 1646/1560 के लगवा स्थित है। जबकि मौके पर पश्चिम दिशा की तरफ खसरा संख्या 1463/199 के लगवा प्रार्थी मोहनी बाई एवं पुर्व दिशा की तरफ ख0नं0 1646/1560 के लगवा अप्रार्थी द्वारका बाई का कब्जा है। जिनका नजरी नक्शा पत्र के संलग्न है।

बहस उभयपक्ष सूनी गई।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार की भूमि खसरा संख्या 1561/194 को खसरा संख्या 1505/194 के पूर्वी दिशा मे की गई तरमीम को निरस्त किया जावे और प्रार्थीया के कब्जे के अनुरुप खसरा संख्या 1561/194 को पश्चिम दिशा में तरमीम किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

पेरोकार सरकार ने दौराने बहस तहसीलदार तालेडा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो की पुष्टि करना अवगत कराते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थिया स्वीकार किये जाने पर रिपोर्ट तहसीदार तालेडा अनुसार सहमति व्यक्त की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड नकल जमाबन्दी खाता संख्या 243 व 131 सम्वत 2076 वाके ग्राम अकतासा एवं नक्सा ट्रेस एवं विक्रय पत्र दिनांक 2.6.2014 का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तालेड़ा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं पत्रावली के उपलब्ध रिकॉर्ड से यह प्रतीत होता है कि ऑनलाईन तरमीम करने के दौरान सहवन से गलत/विपरीत दिशा में तरमीम कर दी गई है। जिसे दुरुस्त किया जाना पक्षकारान के हित में है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तालेड़ा की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार की भूमि खसरा संख्या 1561/194 को खसरा संख्या 1505/194 के पुर्वी दिशा मे की गई तरमीम को निरस्त किया जाकर रिपोर्ट अनुसार और प्रार्थीया के कब्जे के खसरा संख्या 1561/194 को पश्चिम दिशा मे तरमीम दुरुस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं।

यह निर्णय आज दिनांक 29.05.2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(हरबिन्दर डी. सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा